भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049

26 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात की कीमत

1049. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हों, सरकार द्वारा इस्पात की कीमत को कम करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए है;

(ख) लौह अयस्क, स्क्रैप इस्पात, इस्पात पिलेट्स जैसे कच्चे मालों की कीमत कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें भारत से निर्यात न किया जाए और इनका इस्पात संयंत्रों में उपयोग हो; और

(ग) क्या सरकार का, यदि मूल्य वृद्धि जारी रहती है, तो इस्पात के आयात पर शुल्क को कम करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। उत्पादन, निर्यात/आयात जैसे वाणिज्यिक निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। तथापि, सरकार ने इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के अलावा, लोहा और इस्पात की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खनन और खनिज नीति में सुधार, राज्य/केन्द्रीय पीएसयू, आदि द्वारा ओडिशा के समपहृत (फोरफिटेड) कार्यशील खानों का शीघ्र प्रचालन आदि शामिल है। केन्द्रीय बजट 2021-22 में, नॉन-अलॉय, अलॉय और स्टेनलेस स्टील के सेमिज, फ्लैट और लॉन्ग उत्पादों में सीमा शुल्क को समान रूप से 7.5% तक कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस्पात के स्क्रैप पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए बीसीडी में छूट दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, कुछ इस्पात उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी को भी हटा दिया गया है/अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।

****